अनुबंध 2 : राज्यों के राजकोषीय उत्तरदायित्व विधान

मद / राज्य	जम्मू और कश्मीर	मिजोरम	झारखंड
1	2	3	4
1. अधिनियमन का माह/वर्ष	अगस्त 2006	अक्तूबर 2006	मई 2007
2. सकल राजकोषीय घाटा (जीएफडी)	• मार्च 2010 तक जीएसडीपी का 3 प्रतिशत। • अप्रैल 2006 से प्रारंभ होने वाले प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 0.5 प्रतिशत जीएफडी/जीएसडीपी घटाना।	• मार्च 2009 तक जीएसडीपी का 3 प्रतिशत। • प्रत्येक वित्तीय वर्ष में जीएफडी/ जीएसडीपी इतने प्रतिशत अंक कम करना कि मार्च 2009 में जीएसडीपी के 3 प्रतिशत का लक्ष्य प्राप्त हो जाए।	• मार्च 2009 तक जीएसडीपी का 3 प्रतिशत। • जीएफडी/ जीएसडीपी को इतने प्रतिशत अंक कम करना जिससे मार्च 2009 में जीएसडीपी के 3 प्रतिशत का लक्ष्य प्राप्त हो जाए।
3. राजस्व घाटा (आरडी)	• राजस्व अधिशेष बनाए रखना। • राजस्व अधिशेष बढ़ाने हेतु कदम उठाना।	• 31 मार्च 2009 तक शून्य।	• 31 मार्च 2009 तक शून्य।
4. गारंटी	• वार्षिक वृद्धिशील जोखिम भारांकित गारंटियां चालू वर्ष के पूर्ववर्ती वर्ष में कुल राजस्व प्राप्तियों के 75 प्रतिशत तक या चालू वर्ष के पूर्ववर्ती वर्ष में जीएसडीपी के 7.5 प्रतिशत तक सीमित रखना।	• किसी वर्ष में जोखिम भारांकित बकाया गारंटियां वित्तीय वर्ष की समाप्ति के समय राज्य की समेकित निधि में अनुमानित प्राप्तियों के दुगुने से अधिक नहीं होंगी।	–
5. देयताएं	• कुल बकाया देयताएं 2010 में अनुमानित जीएसडीपी के 55 प्रतिशत से अधिक नहीं होंगी। • प्रति वर्ष बकाया देयताओं/ जीएसडीपी अनुपात में 500 आधार अंक की वार्षिक गिरावट।	• सार्वजनिक लेखे छोड़कर, किसी वर्ष कुल बकाया ऋण वित्तीय वर्ष की समाप्ति के समय राज्य की समेकित निधि में अनुमानित प्राप्तियों के दुगुने से अधिक नहीं होगा।	• कुल ऋण स्टॉक 2007-08 तक राज्य के टीआरआर के 300 प्रतिशत तक सीमित होना चाहिए। • ऋण स्टॉक को वहनीय स्तर तक लाने की दृष्टि से ब्याज भुगतान राजस्व प्राप्ति अनुपात 18 से 25 प्रतिशत के बीच सीमित रखना होगा।
6. व्यय	• आर्थिक विकास, गरीबी उन्मूलन और मानव कल्याण में सुधार पर बल देने वाली व्यय नीति जारी रखना। • पूंजी व्यय को प्राथमिकता देने के मानदंड बनाना	• आर्थिक विकास, गरीबी उन्मूलन और मानव कल्याण में सुधार पर बल देने वाली व्यय नीति जारी रखना। • पूंजी व्यय को प्राथमिकता देने के मानदंड बनाना • सरकार सरकारी गजट में अधिसूचना के द्वारा सार्वजनिक व्यय समीक्षा समिति नामक समिति नियुक्त कर सकती है।	• आर्थिक विकास, गरीबी उन्मूलन और मानव कल्याण में सुधार पर बल देने वाली व्यय नीति जारी रखना। • उत्पन्न राजस्व के स्तर के अनुरूप व्यय प्रबंधन।

अनुबंध 2 : राज्यों के राजकोषीय उत्तरदायित्व विधान *(जारी)*

मद / राज्य	जम्मू और कश्मीर	मिजोरम	झारखंड
1	2	3	4
7. मध्यावधि राजकोषीय योजना (एमटीएफपी)	• एमटीएफपी में निर्धारित राजकोषीय संकेतकों के तीन वर्ष के रोलिंग लक्ष्य शामिल किए जाएंगे। • निम्नलिखित से संबंधित वहनीयता का आकलन : ❑ राजस्व प्राप्ति और राजस्व व्यय के बीच संतुलन। ❑ उत्पादक आस्ति निर्माण के लिए पूंजी आस्तियों का उपयोग। ❑ अगले दस वर्षों के लिए बीमांकन आधार पर गणना की गई अनुमानित वार्षिक पेंशन	• निम्नलिखित से संबंधित वहनीयता का आकलन : ❑ राजस्व प्राप्ति और राजस्व व्यय के बीच संतुलन। ❑ उत्पादक आस्ति निर्माण के लिए पूंजी आस्तियों का उपयोग। ❑ अगले दस वर्षों के लिए बीमांकन आधार पर गणना की गई अनुमानित वार्षिक पेंशन	• एमटीएफपी में निर्धारित राजकोषीय संकेतकों के तीन वर्ष के रोलिंग लक्ष्य शामिल किए जाएंगे। • निम्नलिखित से संबंधित वहनीयता का आकलन : ❑ राजस्व प्राप्ति और राजस्व व्यय के बीच संतुलन। ❑ उत्पादक आस्ति निर्माण के लिए पूंजी आस्तियों का उपयोग। ❑ राज्य सरकार के मध्यावधि-राजकोषीय लक्ष्य। ❑ पहले निर्धारित लक्ष्यों और संशोधित अनुमानों के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष के संभाव्य कार्यनिष्पादन की तुलना में पिछले वर्ष के निर्धारित राजकोषीय संकेतकों के निष्पादन का आकलन। ❑ राजकोषीय नीतिगत कार्यनीति के रूप में चालू वित्तीय वर्ष के लिए राजकोषीय क्षेत्र में राज्य सरकार की कार्यनीतिक प्राथमिकता। ❑ व्यय, उधार और निवेश तथा गारंटी और संभाव्य बजटीय प्रभाव वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कार्यों जैसे अन्य कार्यों के विवरण से संबंधित चालू वित्तीय वर्ष की राज्य सरकार की नीतियां।
8. अनुपालन	• बजट अनुमानों संबंधी प्राप्ति और व्यय की प्रवृत्ति की तिमाही समीक्षा। • अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन की समीक्षा के लिए स्वतंत्र एजेंसी का गठन। • जब भी बजट लक्ष्यों से राजस्व में कमी हो या व्यय बढ़ जाए तब राजस्व वृद्धि और/या व्यय कम करने के लिए उपयुक्त उपाय किए जाने हैं।	• बजट अनुमानों संबंधी प्राप्ति और व्यय की छमाही समीक्षा।	• बजट अनुमानों संबंधी प्राप्ति और व्यय की प्रवृत्ति की समीक्षा। • जब भी बजट लक्ष्यों से राजस्व में कमी हो या व्यय बढ़ जाए तब राजस्व वृद्धि और/या व्यय कम करने के लिए उपयुक्त उपाय किए जाने हैं। • व्यय कटौती और/या राजस्व वृद्धि के विवरण के साथ अनुपूरक अनुमान रखे जाएंगे।

अनुबंध 2 : राज्यों के राजकोषीय उत्तरदायित्व विधान *(जारी)*

मद / राज्य	जम्मू और कश्मीर	मिजोरम	झारखंड
1	2	3	4
	• विधान परिषद के दोनों गृहों में वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी प्रस्तावित उपाय के लिए विवरण प्रस्तुत करना जिससे राजस्व घाटा बढ़ सकता है, इसके साथ ऐसी वृद्धि या हानि का प्रभाव समाप्त करने हेतु प्रस्तावित सुधारात्मक उपायों का विवरण दिया जाएगा।		• सरकार के अनुमोदन के बिना वित्त विभाग में वित्तीय वर्ष के दौरान बजट प्रावधान के बाहर की कोई भी देयता निर्मित नहीं की जाएगी। • नैसर्गिक आपदा के समय सरकार आपदा की निवल राजकोषीय लागत की पहचान करेगी और ऐसी लागत विनिर्दिष्ट सीमा के अननुपालन की उच्चतम सीमा होगी।
9. पेंशन	• अगले दस वर्षों के लिए अनुमानित वार्षिक पेंशन देयताओं की गणना बीमांकन आधार पर की गई। • यदि पहले 3 वर्षों के लिए उपर्युक्त बात संभव न हो तो प्रवृत्ति वृद्धि दर के आधार पर अनुमान लगाया जाए।	• अगले दस वर्षों के लिए अनुमानित वार्षिक पेंशन देयताओं की गणना बीमांकन आधार पर की गई। • यदि पहले 3 वर्षों के लिए उपयुक्त संभव न हो तो प्रवृत्ति वृद्धि दर के आधार पर अनुमान लगाया जाए।	• अगले दस वर्षों के लिए अनुमानित वार्षिक पेंशन देयताओं की गणना बीमांकन आधार पर की गई।
10. राजकोषीय पारदर्शिता	• राजकोषीय परिचालनों में अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए उपाय। • लेखांकन मानकों, नीतियों और प्रथाओं में महत्वपूर्ण परिवर्तनों का प्रकटीकरण। • भारिबैंक से प्राप्त डब्ल्यूएमए/ओडी के ब्यौरों का प्रकटीकरण। • राज्य जब भी किसी अलग कानूनी संस्था के मूलधन और/या ब्याज की चुकौती करता है तो उसे ऐसी देयता को राज्य के उधार के रूप में दर्शाना होगा।	• राजकोषीय परिचालनों में अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए उपाय। • लेखांकन मानकों, नीतियों और प्रथाओं में महत्वपूर्ण परिवर्तनों का प्रकटीकरण। • भारिबैंक से प्राप्त डब्ल्यूएमए/ओडी के ब्यौरों का प्रकटीकरण।	• राजकोषीय परिचालनों में अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए उपाय। • लेखांकन मानकों, नीतियों और प्रथाओं में महत्वपूर्ण परिवर्तनों का प्रकटीकरण। • राज्य सरकार द्वारा संस्थावार दी गई गारंटी, इन संस्थाओं द्वारा ऋण शोधन, देयता निवारण में चूक और इन संस्थाओं की चूक के कारण राज्य सरकार के खाते में निर्मित आकस्मिक देयताओं को दर्शाने वाला विवरण झारखंड विधान परिषद में रखा जाएगा। • राज्य सरकार अपने ऋण और वित्तीय आस्तियों के स्तर की पूरी जानकारी प्रकाशित करेगी। ऋण संबंधी जानकारी में अवधिपूर्णता का स्वरूप और ब्याज दर दिया जाएगा।
11. अन्य	• वित्त की अनपेक्षित मांग के कारण आरडी और जीएफडी इस अधिनियम के अंतर्गत विनिर्दिष्ट सीमा से बढ़ सकते हैं।	• वित्त की अनपेक्षित मांग के कारण आरडी और जीएफडी इस अधिनियम के अंतर्गत विनिर्दिष्ट सीमा से बढ़ सकते हैं।	• वित्त की अनपेक्षित मांग के कारण आरडी और जीएफडी इस अधिनियम के अंतर्गत विनिर्दिष्ट सीमा से बढ़ सकते हैं।

अनुबंध 2 : राज्यों के राजकोषीय उत्तरदायित्व विधान *(समाप्त)*

मद / राज्य	जम्मू और कश्मीर	मिजोरम	झारखंड
1	2	3	4
	• करेतर राजस्व जुटाने की नीति जारी रखना जिसमें लागत वसूली और ईक्विटी पर ध्यान दिया जाएगा। • राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रावधानों के पालन के लिए सरकारी गजट में अधिसूचित करके नियम बनाएगी। • यदि इस अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने में कोई कठिनाई आती है तो कठिनाई दूर करने के लिए राज्य सरकार सरकारी गजट में आदेश प्रकाशित करके ऐसे आवश्यक प्रावधान कर सकती है जो इस अधिनियम के प्रावधानों के प्रतिकूल न हों। • अंतरण-पूर्व का योजनेतर राजस्व घाटा 1 अप्रैल 2006 के प्रारंभ से पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में एक प्रतिशत अंक के समतुल्य राशि से कम करना ताकि इसे 31 मार्च 2010 तक जीएसडीपी के 20 प्रतिशत तक कम किया जा सके और उसके बाद यह स्तर बनाया रखा जा सके।	• करेतर राजस्व जुटाने की नीति जारी रखना जिसमें लागत वसूली और ईक्विटी पर ध्यान दिया जाएगा। • राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रावधानों के पालन के लिए सरकारी गजट में अधिसूचित करके नियम बनाएगी। • यदि इस अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने में कोई कठिनाई आती है तो कठिनाई दूर करने के लिए राज्य सरकार सरकारी गजट में आदेश प्रकाशित करके ऐसे आवश्यक प्रावधान कर सकती है जो इस अधिनियम के प्रावधानों के प्रतिकूल न हों। • वार्षिक बजट के साथ विशेष विवरण भी प्रकाशित करना जिसमें सरकारी, सार्वजनिक क्षेत्र और सहायता प्राप्त संस्थाओं में कर्मचारियों की संख्या और संबंधित वेतन का ब्यौरा दिया जाएगा।	• करेतर राजस्व जुटाने की नीति जारी रखना जिसमें लागत वसूली और ईक्विटी पर ध्यान दिया जाएगा। • राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रावधानों के पालन के लिए सरकारी गजट में अधिसूचित करके नियम बनाएगी। • यदि इस अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने में कोई कठिनाई आती है तो कठिनाई दूर करने के लिए राज्य सरकार सरकारी गजट में आदेश प्रकाशित करके ऐसे आवश्यक प्रावधान कर सकती है जो इस अधिनियम के प्रावधानों के प्रतिकूल न हों। • 2008 तक जीएसडीपी के 3 प्रतिशत से अधिक का प्राथमिक अधिशेष निर्मित करना। • राज्य के स्वयं के राजस्व से वेतन का अनुपात 2008 तक कम करके 80 प्रतिशत तक लाना। • राज्य के स्वयं के और अनिवार्य राजस्व से गैर-ब्याज प्रतिबद्ध राजस्व का अनुपात 2008 तक कम करके 55 प्रतिशत तक लाना।

टिप्पणी: 1. 16 राज्यों (यथा कर्नाटक, केरल, तमिल नाडु, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र, राजस्थान, असम, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा और आंध्र प्रदेश) के राजकोषीय जवाबदेही विधान (एफआरएल) का सारांश 'राज्य वित्त-2005-06 के बजटों का अध्ययन' के अनुबंध-2 (पृष्ठ 79-88) में तथा 7 राज्यों (यथा मणिपुर, नागालैंड, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, बिहार और गोवा) के एफआरएल का सारांश 'राज्य वित्त-2006-07 के बजटों का अध्ययन' के अनुबंध 2 में प्रकाशित किया गया है।

2. कुछ राज्यों ने अपने एफआरएल में बाद में संशोधन किए हैं। तथापि, यह अनुबंध अद्यतन उपलब्ध जानकारी के आधार पर है और हो सकता है कि इसमें संशोधन शामिल न हो।